भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 879
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एंड्रोथ द्वीप पर एयरोड्रोम की स्थापना

879. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के एंड्रोथ द्वीप में एक एयरोड्रोम की स्थापना के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति और इसमें हुए विलंब अथवा इसके कार्यान्वयन न होने के कारणों का ब्यौरा है;
(ख) क्या हवाई संपर्क में सुधार करने, आपातकालीन निकासी चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और एंड्रोथ द्वीप के समग्र आर्थिक विकास का समर्थन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त एयरोड्रोम परियोजना को पुनर्जीवित करने और इसमें तेजी लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या एंड्रोथ द्वीप में एयरोड्रोम की स्थापना होने तक, सरकार का द्वीप की आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोच्चि से लौटने वाले निकासी चिकित्सा हेलीकॉप्टरों को एंड्रोथ के रास्ते भेजने का विचार है विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले ऐसी व्यवस्था का पालन किया जाता था और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, यदि कोई हवाईअड्डा विकासकर्ता, जिसमें राज्य सरकार भी शामिल है, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को विकसित करना चाहता है, तो उन्हें एक उपयुक्त स्थल की पहचान करनी होगी और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा और 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के एंड्रोथ द्वीप पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए जीएफए नीति के तहत 'साइट क्लीयरेंस' का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर परिचालन, मुख्य रूप से द्वीपों से मुख्य भूमि तक एयर एम्बुलेंस (चिकित्सा निकासी) सेवाओं और अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हैं।
